न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 21/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. रेवड पुत्र डालू
2. राधेश्याम पुत्र डालू
3. रामकिशन पुत्र डालू
4. नेमीचन्द पुत्र कजोड
5. कमलेश पुत्र कजोड
6. पूनी पुत्री कजोड

(क्रमांक 1 से 6) समस्त जाति खारवाल निवासी ढिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा।

7. एसबीबीजे शाखा लवाण हिस्सा रेवड व राधेश्याम

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 उपस्थित।

:–निर्णयः– दिनांकः 11.09.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ढिगारिया तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 639 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा सम्वत 2003–2022 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि को परिवर्तित खसरा नम्बर 639 से खसरा नम्बर 159 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा बना। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 159/304 से खसरा नम्बर 804, 805, 806, 812/1507 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है. बन है। आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.06.1967 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 3 बीघा किस्म खातली का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा डालू पुत्र छीतर कौम खारवाल निवासी ढिगारिया तहसील दौसा हाल तहसील लवाण के नाम आंवटित की गई, जो जरिये नामांतरकरण संख्या 153 के द्वारा आवंटी डालू पुत्र छीतर कौम खारवाल निवासी ढिगारिया के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात जरिये नामान्तरकरण [illegible] दिनांक 29.09.1977 उक्त भूमि डालू पुत्र छीतर कौम खारवाल निवासी ढिगारिया के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी संवत 2048–51 ग्राम ढिगारिया के खाता संख्या 119 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 804/1 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 805 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.20 है. किस्म चाही–2 एवं खसरा नम्बर 812/1507 रकबा 0.32 किस्म बारानी–2 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि जरिये विरासत डालू पुत्र छीतर के स्थान पर रेवड, कजोड, रामकिशन, राधेश्याम पि. डालू व नहनी पत्नि डालू कौम खारवाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 09.06.1989 दर्ज रिकॉर्ड हुई। जिसमे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

नहनी पत्नि डालू की मृत्यु हो चुकी है एवं कजोड पुत्र डालू हिस्सा 1/2 की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 406 दिनांक 20.04.2015 के द्वारा नेमीचन्द, कमलेश पि. कजोड के नाम जरिये हकत्याग पुत्री पुनी द्वारा कराये जाने पर दर्ज रिकॉर्ड हुई। राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2076–79 में खाता संख्या 171 ग्राम ढिगारिया के अनुसार खसरा नम्बर 804/1, 805, 806, 812/1507 रकबा 0.64 है. में दर्ज खातेदार रेवड, राधेश्याम पि. डालू हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज बैंक प्रविष्टि जरिये नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांक 30.06.2014 के द्वारा राहिन एसबीबीजे शाखा लवाण मूर्तिहीन के नाम दर्ज है व कमलेश, नेमीचन्द, पुनी पि. कजोड हिस्सा 1/4 व रामकिशन पुत्र डालू हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम ढिगारिया में भूमि खसरा नम्बर 639 होना स्वीकार है किन्तु उक्त भमि कभी भी नदी, नाले, झील, तालाब, बांध आदि की भूमि नहीं रही, बल्कि शुरू से ही काबिल काश्त भूमि रही है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज डालू द्वारा काफी लम्बे समय से काश्त करने पर खसरा नम्बर 159/304 रकबा 3 बीघा भूमि विधिवत रूप से आवंटित की गई है व राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन के गैर खातेदार दर्ज किया जाकर अंकन किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज डालू द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त करने में लाखों रूपये खर्च किये है, जिस पर काफी वर्षो से डालू का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण का कब्जा है। एकीकरण में भी उक्त भूमि सिवायचक लगानी अंकित रही है तथा विधिवत रूप से अप्रार्थीगण के पूर्वज डालू को दिनांक 30.06.1967 को विधिवत रूप से आवंटन/नियमन किया जाकर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 153 तस्दीक किया गया है। इसके पश्चात् खातेदारी व विरासत का नामान्तरकरण विधिवत रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कभी भी नदी नाले की भूमि नहीं रही है बल्कि काबिल काश्त भूमि रही है। जिससे अप्रार्थीगण व उसके पूवर्ज काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। आज दिन भी उक्त भूमि मौके पर कोई नदी, नाले, जलप्रवाह की भूमि नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रावधान व दृष्टान्त लागु नहीं होते है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 804/1, 805, 806, 812/1507 रकबा 0.64 है. साबिक खसरा नम्बर 639 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा से बने है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 639 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा संवत 2003–22 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड थे। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जावे हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर [illegible] किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा